


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
09/02/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार सुरेन दास, पिता- स्व० भागीराथी दास ग्राम- ईठर थाना- कुमारडुंगी,, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का केस सं० 108(Adv)/70-71 रूपये मुलधन-529.00 ब्याज-1348.95 लगत-9.00 कुल-1886.95 राशि की वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुंगी।</p>	